"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2015—आश्विन 17, शक 1937

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-77/2015/11/(6).— राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014-19 के कंडिका (13) में ब्रांड "विश्वसनीय छत्तीसगढ़" की उपकंडिका 13.1 एवं 13.3 में निम्नानुसार प्रावधान है :-

1. राज्य की आर्थिक शक्तियों से देश व विदेश को परिचित कराने, देश तथा देश के बाहर के औद्योगिक घरानों को राज्य में विभिन्न सेक्टर यथा ऑटोमोबाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, व्हाईट गुड्स, अधोसंरचना विकास, पर्यटन, नवीन-नवीकरणीय ऊर्जा, हर्बल, लघु वनोपज आदि के क्षेत्रों में देशी एवं विदेशी पूंजी आकर्षित करने हेतु "रोड शो/इन्वेस्टर मीट" का आयोजन किया जावेगा.

2. राज्य शासन की समग्र विकास की योजनाओं को राज्य के जन-जन तक पहुंचाये जाने हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जावेगा.

उपरोक्त कार्य हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाता है.

नोडल अधिकारी उद्योग विभाग से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यालयों एवं औद्योगिक विकास से संबंधित अन्य विभागों के समन्वय से उपरोक्त कार्य करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.